

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2024--श्रावण 23, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. 12-वि.निर्वा.-2024-चार-166.- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं :-

1. क्रमांक 100-CS-MP-08-2024-(1), दिनांक 14 अगस्त 2024
2. क्रमांक 100-CS-MP-08-2024-(2), दिनांक 14 अगस्त 2024

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 14 अगस्त 2024-23 श्रावण, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-मध्यप्रदेश/08/2024 (1) यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया का स्थान जिनकी पदावधि 21.06.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके अठारहवीं लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण 04.06.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 06 सितम्बर 2024 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तख्तीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- | | |
|---|------------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | - 21 अगस्त 2024 (बुधवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | - 22 अगस्त 2024 (गुरुवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | - 26 अगस्त 2024 (सोमवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | - 03 सितम्बर 2024 (मंगलवार); और |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा करता है; और | - 06 सितम्बर 2024 (शुक्रवार); नियत |

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 14th August, 2024 – 23 Sravana, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-MP/08/2024 (1): - WHEREAS, the seat of Shri Jyotiraditya M. Scindia, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, has become vacant on 04.06.2024 by the reason of his election to the 18th Lok Sabha, before the expiration of his term of office which was up to and including 21.06.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh to elect, before 06th September, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) appoints, with respect to the said election;
- (a) the 21st August, 2024 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 22nd August, 2024 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 26th August, 2024 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 03rd September, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 06th September, 2024 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 14 अगस्त 2024-23 श्रावण, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-मध्यप्रदेश/08/2024(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 14 अगस्त 2024 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है;

और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री अरविंद शर्मा, सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय	श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 14th August, 2024 – 23 Sravana, 1946 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-MP/08/2024 (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 14th August, 2024: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officers Appointed as Assistant Returning Officers
(1)	(2)
Shri Arvind Sharma, Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat	Shri Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.